कैमूर की 116 सहकारी समितियां ई- पैक्स बनी, सभी काम डिजिटल होंगे

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

कैमूर की कुल 11 प्रखंडों की 116 सहकारी समितियां ई-पैक्स बन चुकी है। अब इन समितियों की सभी गतिविधियां डिजिटल की जा चुकी है। हालांकि अन्य सभी समितियों को भी डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सहकारी विभाग के आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पहले चरण में ही 120 पैक्सों को ई-पैक्स बनाने की सहमति मिल चुकी थी। बाकी बचे 26 पैक्सों को भी दूसरे चरण में जोड़ ली गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही जिले की सभी सहकारी समितियां को ई- पैक्स के तौर पर विकसित कर लिया जाएगा। बताया गया है कि पैक्सों के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज किए जाने के बाद पैक्स के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में पारदर्शिता आएगी। हर तरह की गतिविधियां ऑनलाइन होंगी। चाहे उनकी कैश बुक हो या फिर किसी भी तरह की अन्य रोकड़ संबंधी कार्य। सभी कंप्यूटर के जरिए किए जाएंगे।

सभी समितियों को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया तेज, ई -पैक्स बनने के बाद आएगी पारदर्शिता

ई - पैक्स के लिए अलग से वेबसाइट डेवलप

बताया गया है कि ई - पैक्स बनाए जाने के बाद समितियों की गतिविधियों को इआरपी (इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लैनिंग) नाम की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। समितियों के आधिकारिक कर्मी इसी पोर्टल पर अलग-अलग तरह के कार्य करेंगे। बताया गया है कि ई -पैक्स बनाए जाने के बाद समितियां की सभी गतिविधियां डिजिटल कर ली जाएंगी। पैक्सों के कार्य में सदस्यता, ऋण वितरण, दिए गए कर्ज की वसूली, उर्वरक कारोबार, कृषि यंत्रिकरण, खाद्यान्न वितरण (पीडीएस), पैक्सों के द्वारा रोक की वित्तीय गतिविधियों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की रियल टाइम मॉनिटरिंग, कैश बुक के ऑनलाइन रिकॉर्ड, धान की खरीददारी, गेहूं की खरीदारी के अलावे कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े सभी कार्य की गतिविधियां भी इस पोर्टल से जुड़ेंगे। सीएससी के जरिए किसानों की बीमा, अलग-अलग योजनाओं की पंजीकरण सहित कई गतिविधियां शामिल है।

16 पैक्सों के प्रखंडवार आंकड़े

प्रखंड	संख्या
चांद	3
दुर्गावती	1
भभुआ	2
रामगढ़	4
नुआंव	2
चैनपुर	2
रामपुर	2

पहले चरण में ही ई-पैक्स बनाई जा चुकी थी 16 समितियां

बताया गया है कि सबसे पहले कैमूर के दो पैक्स चांद के गोई और नोनार को पहले ही ई-पैक्स घोषित किया जा चुका था। पहले चरण में 14 पैक्सों को ई-पैक्स घोषित किया गया इनमें चांद का बीयूरी, चौंद, दुर्गावती का कौंच, भभुआ का रुइया, सीकठी, रामगढ़ का बांदीपुर, नोनार, अखिनी और अहिवास, नुआंव का अकोली, चंदेस, चैनपुर का नंदगांव, मेढ़ रामपुर का पसाई और बेलाव को ई - पैक्स बनाया गया है।

सभी पैक्सों को ई- पैक्स बनाया जाना है

कैमूर के सभी 146 समितियों को ई पैक्स बनाना है। दो चरणों में यह प्रक्रिया पूरी की जा रही है। 116 पैक्स को बनाई जा चुकी है। इससे समितियों के कार्यों में पारदर्शिता होगी। शशिकांत शशि, जिला सहकारिता पदाधिकारी

गैस सिलेंडर की किल्लत • जिले में 19 गैस एजेंसी संचालित, डीएम ने प्रबंधकों को दिए आवश्यक निर्देश

दावा- जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक, हकीकत- होम डिलीवरी नहीं हो रही

सिटीरिपोर्टर | भभुआ/मोहनिया

जिले में कुल 19 गैस एजेंसी संचालित है, पर उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कई दिनों से घरेलू गैस के लिए उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं हो रही। कई इलाकों के कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि जिस वेंडर से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी उन्हें पिछले दिनों तक सहूलियत से मिलती रही है इन दिनों उनका फोन बंद आ रहा है। इससे बेचैन लोग गैस के एजेंसी के गोदामों तक पहुंच रहे हैं।

शुक्रवार को मोहनिया के डंडवा स्थित इंडेन गैस गोदाम के पास घरेलू गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पहुंचा। जहां गैस सिलेंडर लेने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। हालांकि अब एजेंसी के गोदामों से लोगों को गैस न देकर घरों तक डिलीवरी का दावा संचालक कर रहे हैं।माना जा रहा है कि अब घरेलू गैस के लिए लोगों को परेशानी नहीं होगी। कैमूर में रसोई गैस बुकिंग के बाद दो से तीन दिनों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति होगी। बता दें कि कैमूर में एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है। दरअसल,खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी सूचना के आलोक में कैमूर जिला प्रशासन ने आम नागरिकों को आश्वस्त किया है कि राज्य में घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है।इसलिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों पर अनावश्यक भीड़ लगाने या किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

इस बारे में जिला आपूर्ति पदाधिकारी कैमूर घनानंद ने बताया कि पेट्रोलियम एजेंसियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है तथा सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को पिछली डिलीवरी के 25 दिन बाद ही नए गैस सिलेंडर की बुकिंग नंबर लगाने की अनुमति है।बुकिंग दर्ज होने के पश्चात दो से तीन दिनों के भीतर गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा गैस आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके।

बुकिंग के बाद 2 से 3 दिन में गैस सिलेंडर की होगी आपूर्ति

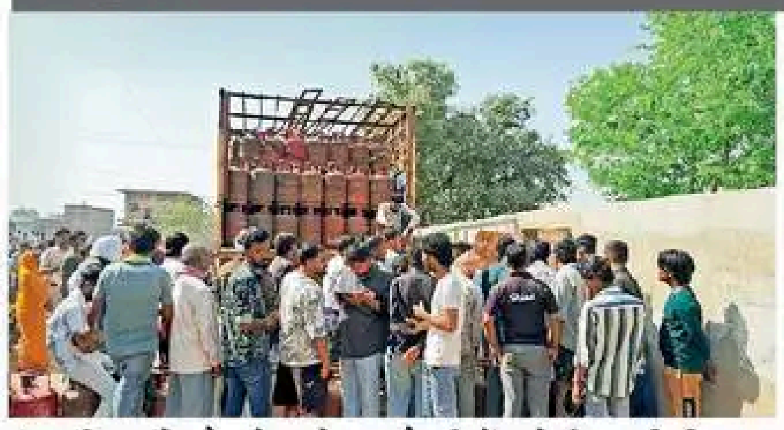

डंडवा स्थित इंडेन गैस गोदाम के पास गैस सिलेंडर के लिए लगी भीड़।

निर्धारित समय में सिलेंडरों की होम डिलीवरी करें

गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सिलेंडरों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें जिला पदाधिकारी ने यह भी कहा कि गैस वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड को अपडेट रखा जाए ताकि किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश न रहे।डीएम ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देशित किया कि वे सभी प्रखंडों के आपूर्ति निरीक्षकों के साथ समन्वय बनाकर नियमित मॉनिटरिंग करें और साप्ताहिक रिपोर्ट उपलब्ध करायें।

उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी न हो: डीएम

जिला पदाधिकारी ने जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता,वितरण और उससे संबंधित समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की गई हैं।बता दें कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में चल रही उथल-पुथल और हाल ही में सरकार द्वारा जारी किए गए नए नियमों जैसे 25 दिनों के अंतराल पर बुकिंग ओटीपी आधारित के बीच जिला पदाधिकारी ने सुनिश्चित करने को कहा कि आम उपभोक्ताओं को रसोई गैस की कमी न हो।

कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई

गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे उपभोक्ताओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर सिलेंडरों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करें।एलपीजी गैस से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत होने पर इन हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करें ताकि संबंधित मामलों में त्वरित जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।रसोई गैस की कालाबाजारी व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए नियमित छापेमारी की जा रही है। घनानंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, कैमूर

शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर

- जिला स्तर कैमूर 06189-222080
- भभुआ अनुमंडल 06189-223221
- मोहनिया अनुमंडल 06187-295281 09142852757

ट्रक-ट्राली की टक्कर में चालक घायल

एनएच-19 पर कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहरा गेट के समीप हादसा

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहरा गेट के समीप दिल्ली-कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-19) पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। गिट्टी लदी ट्राली ट्रक और सरसों लदे ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर में ट्राली ट्रक का चालक गंभीर घायल हो गया।दुर्घटना के बाद कुछ देर तक हाईवे पर अफरातफरी का माहौल बना रहा।प्राप्त जानकारी के अनुसार,मोहनिया की ओर से आ रही गिट्टी लदी ट्राली ट्रक तेज रफ्तार में सासाराम की दिशा में जा रही सरसों लदे ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्राली ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसके परखच्चे उड़ गए। हादसे में ट्राली ट्रक चालक सुजीत यादव गंभीर घायल होकर वाहन में ही फंस गए।घटना के संदर्भ में कुदरा थानाध्यक्ष नंदू कुमार ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम एवं एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल चालक को वाहन से बाहर निकाला गया और तत्काल कुदरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने के बाद चालक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल,भभुआ रेफर कर दिया गया।सदर अस्पताल में जांच के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल को वाराणसी स्थित हायर सेंटर भेज दिया।बताया जाता है कि घायल चालक सुजीत यादव उत्तर प्रदेश के चंदौली जिला अंतर्गत मुगलसराय के निवासी हैं।हादसे के कारण कुछ समय तक एनएच-19 पर यातायात प्रभावित रहा। बाद में पुलिस और एनएचएआई पेट्रोलिंग टीम की तत्परता से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे हटाकर आवागमन सामान्य कराया गया।

एसवीपी कॉलेज में विश्व दर्शन दिवस पर कार्यक्रम

भभुआ | सरदार वल्लभभाई पटेल महाविद्यालय के दर्शनशास्त्र विभाग से आज शनिवार को महाविद्यालय सभागार में विश्व दर्शन दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।बता दें कि यह कार्यक्रम भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच दर्शनशास्त्र की समृद्ध परंपरा तथा समकालीन संदर्भों में उसकी प्रासंगिकता पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना है।कार्यक्रम के संयोजक डॉ भूपेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर दो प्रतिष्ठित विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।

घर में घुसकर युवक पर लाठी-डंडे से हमला, घायल

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

भभुआ थाना क्षेत्र के सिकठी गांव में घर में घुसकर एक युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में युवक गंभीर घायल हो गया। पीड़ित ने भभुआ थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार, भभुआ थाना क्षेत्र के सिकठी गांव निवासी अनिल कुमार ने थाने में दिए आवेदन में बताया है कि 12 मार्च 2026 की रात करीब 12 बजे गांव के ही कुछ लोग उसके घर पर पहुंच गए और गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो सभी लोग आक्रोशित हो गए और लाठी-डंडे से उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया और वह गंभीर घायल हो गया।घटना के दौरान युवक के शोर पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज कराया गया।

ई-रिक्शा से लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार,कैमूर के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार आज 14 मार्च दिन शनिवार को आयोजित होने वाले वर्ष के प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी पूर्ण कर ली गई है।

बता दें कि आम नागरिकों को जागरूक करने के उद्देश्य से शुक्रवार को जिला विधिक सेवा कार्यालय से गुरुवार को ई-रिक्शा के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार अभियान के लिए रवाना किया गया।इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरभ सहित अधिवक्ता मौजूद रहे।ई-रिक्शा के माध्यम से भभुआ शहर एवं ग्रामीण इलाकों के चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर के द्वारा लोक अदालत के लाभों की जानकारी दी गई।लोगों को बताया गया कि यह उनके पुराने और लंबित मामलों को बिना किसी खर्च के समाप्त करने का सुनहरा अवसर है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने बताया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशानुसार हमारा लक्ष्य है कि जिले का कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। ई-रिक्शा प्रचारअभियान इसी दिशा में एक कदम है ताकि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी आज शनिवार 14 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की सूचना मिल सके।

जागरूकता अभियान में शामिल अधिवक्ता।

आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 7 लोग घायल

मोहनिया | थाना क्षेत्र के महरो कला गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्ष के कुल 7 लोग घायल हो गए।घायलों को उपचार के लिए मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को मोहनिया थाना क्षेत्र के महरो कला गांव में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर पहले तू-तू मैं-मैं होने लगी, बात आगे बढ़ी तो दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से ओमप्रकाश सिंह,सोमनाथ राय, कमलेश कुमार व जयप्रकाश जबकि दूसरे पक्ष के राजगिरी सिंह, पंकज कुमार, आशीषसहर सिंह घायल हो गए।

कझार-गंगापुर पथ में गड्ढे उभरे, परेशानी

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

गुणवत्ताहीन सड़क में उभरे गड्ढे

कुदरा-भभुआ रोड से निकलने वाली कझार-गंगापुर पथ साल भर पहले ही मरम्मत की गई थी।तब इसमें उभरे गड्ढों में छोटे-छोटे पैचिंग की थी।अब वो उखड़ कर बड़े गड्ढे बन चुके हैं।इस पथ में दर्जनों बड़े-बड़े गड्ढे उभर आए हैं।इससे आने-जाने वालों को परेशानी हो रही है। इतने कम समय में पथ के क्षतिग्रस्त होने से पथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।इस पथ से जुड़ने वाले दर्जनों गांव के लोगों का कहना है कि करीब 8 साल पहले पथ का कालीकरण हुआ था। उसके बाद उभरे गड्ढों व खराब हो चुकी सड़क के शिकायत के बाद मरम्मत के लिए बड़ी राशि का आवंटन हुआ। जिससे कझार से शुरू कर गंगापुर तक पुनः कालीकरण की गई। यह कार्य सालों पहले ही हुआ।बावजूद अब दर्जनों गड्ढे सड़क में उभरे आएं हैं। आलम यह है कि भभुआ-कुदरा रोड से निकलते ही महज डेढ़ सौ मीटर की दूरी से ही गड्ढों की शुरुआत हो जाती है। सड़क के महज 10 किलोमीटर की दूरी में 11 बड़े गड्ढे उभर आए हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से निकलकर जिला मुख्यालय को जाने वाली पथ से निकलने वाली यह लिंक सड़क कुदरा- भभुआ- बेलवा प्रखंड के कई गांवों को जोड़ते हुए सोन नहर प्रणाली में मिलती है।

आज मोहनिया व भभुआ कोर्ट कैंपस में लगेगी लोक अदालत

मामलों के निपटारे के लिए भभुआ में 9 व मोहनिया में दो न्यायिक बेंच गठित

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

आज 14 मार्च यानी दिन शनिवार को भभुआ व मोहनिया कोर्ट कैंपस में लोक अदालत का आयोजन होगा। इसके लिए कुल 11 न्यायिक बेंच का गठन किया गया है।

सुलहनीय मामलों के निपटारे के लिए भभुआ सिविल कोर्ट कैंपस में 9 व अनुमंडल कोर्ट मोहनिया में दो बेंच गठित की गई है।परिवार न्यायालय के मामले,मोटर वाहन,भूमि अधिग्रहण के साथ पंजाब नेशनल बैंक के मामलों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -2 अजीत कुमार मिश्रा की अगुवाई वाले गठित बेंच में निपटाए जाएंगे।

इसी तरह वन विभाग से जुड़े मामलों का निपटारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम आशुतोष कुमार सिंह की अगुवाई वाले बेंच में निपटाई जाएगी।वहीं ग्रामीण बैंक, नीलाम पत्रवाद का निष्पादन न्यायिक पदाधिकारी एडीजे धर्मेंद्र तिवारी के अगुवाई वाली बेंच में होगा।स्टेट बैंक, यूनियन बैंक,इंडियन बैंक,सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ़ इंडिया की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडे की अगुवाई वाली बेंच में सुनी जाएगी।इनके अतिरिक्त चार अन्य न्यायिक बेंच में आपराधिक मामलों की सुनवाई के साथ उनका निष्पादन करेंगे।इसके अतिरिक्त इन न्यायालय में ट्रैफिक चालान,खनन, माप-तोल विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की जाएगी।

दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट पर विशेष जांच अभियान

भभुआ | कैमूर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डीएम सह जिला सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा जिलेभर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा हैं।यह अभियान जिला प्रशासन की व्यापक सड़क सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है।अभियान के दौरान प्रमुख मार्गों,राष्ट्रीय राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों,बाजार क्षेत्रों और दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।

जन संवाद में 35 अधिकारी 149 नागरिकों से मिले

डीएम के जनता दरबार में 26 आवेदन प्राप्त हुए

भभुआ | जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में शुक्रवार को जन-संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।बता दें कि इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 26आवेदन प्राप्त हुए।जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।ऑनलाइन पोर्टल पर किये गए प्रविष्टि के अनुसार जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 35 अधिकारियों ने 149 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया।जिले के कुल 11 प्रखण्डों में 76 अधिकारियों की उपस्थिति रही जहां 181 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 16 अधिकारियों ने 79 नागरिकों के साथ संवाद किया।सबसे व्यापक प्रभाव पंचायत स्तर पर देखा गया जहां 137 अधिकारियों ने कुल 316 नागरिकों से सीधा संपर्क किया।

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! | punjab national bank ...the name you can BANK upon !

सम्पति वसूली प्रबंधन शाखा
ओल्ड जीटी रोड, औरंगाबाद, बिहार-824101

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा उसके द्वारा ले लिया गया है। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता को अपने बकाया की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा। संबंधित उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (गारंटरों) से सुरक्षित लेनदार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि जमा नीचे दी गई तालिका में सम्बंधित सम्पत्तियों के अनुसार होगी।

परिशिष्ट- IV-A [नियम 8 (6) का प्रावधान देखें] (सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची)

लॉट न.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम एवं पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति को गिरवी रखने वाले)	(क) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना की तिथि (ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (ग) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा की तिथि (घ) कब्जे की प्रकृति (ङ) बिक्री सूचना के अनुसार बकाया राशि	क) आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ख) ईएमडी ग) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात ऋणभारों का विवरण
1	शाखा- सोनहन (315900) खाता संख्या- 3159008700001109 एवं 315900IL00000311 मेसर्स सुमन मिनी राइस मिल, प्रोप- श्री जयशंकर सिंह (उधारकर्ता) श्री जयशंकर सिंह (मालिक/बंधककर्ता) दोनों वार्ड संख्या- 18, भभुआ कुदरा, बाय पास रोड, पोस्ट- भभुआ, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर, पिन- 821101 के निवासी हैं। श्री बृज किशोर उपाध्याय पिता- श्री काशी नाथ उपाध्याय (गारंटर) ग्राम- अकोढ़ी, पोस्ट- ओढ़ार, थाना- भभुआ, जिला- कैमूर, पिन- 821108	(1) अचल संपत्ति, स्थान- भभुआ, उपमंडल- कैमूर, जिला- कैमूर, खाता संख्या- 82, प्लॉट संख्या- 80/710, क्षेत्रफल-11.50 डेसिमल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या- 6738 दिनांक 29.11.2016, वॉर्ड संख्या- 18 स्वामी/बन्धककर्ता- जय शंकर सिंह पिता श्री राम बचन सिंह चौहद्दी- उत्तर- श्यामू साह, दक्षिण- नारद सिंह, पूर्व- रास्ता, पश्चिम-निज	(क) 25.08.2025 (ख) रु 1,07,22,862.33/- दिनांक 31.07.2025 तक + अतिरिक्त ब्याज (ग) 19.11.2025 (घ) सांकेतिक (ङ) रु 1,10,57,870.25/- दिनांक 28.02.2026 तक + अतिरिक्त ब्याज एवं व्यय/शुल्क	(क) रु 1,56,37,000/- (ख) रु15,63,700/- (ग) रु 50,000/-	दिनांक 28.04.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक	CWJC No- 2314/2026 माननीय पटना उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है

(2) अचल संपत्ति, स्थान- भभुआ, उपमंडल- कैमूर, जिला- कैमूर, खाता संख्या- 82, प्लॉट संख्या- 72/710, क्षेत्रफल- 07.00 डेसिमल, पंजीकृत बंधक विलेख संख्या- 6738 दिनांक 29.11.2016, वॉर्ड संख्या- 18स्वामी/बन्धककर्ता- जय शंकर सिंह पिता श्री राम बचन सिंह
चौहद्दी- उत्तर- जगत साह, दक्षिण- मदन साह, पूर्व- निज, पश्चिम- जोखन

नियम एवं शर्तें : बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. संपत्तियों को 'जैसा है जहां है के आधार पर' और 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट https://baanknet.com पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से 28.04.2026 को दोपहर 12.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक की जाएगी। 4. बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया https://baanknet.com और www.pnbindia.in देखें। 5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है एवं इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा | प्राधिकृत अधिकारी

बैठक • 146 ग्राम पंचायत व 6 नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन

कैमूर के 150 खेल क्लब में शारीरिक शिक्षक टैग होंगे

सिटीरिपोर्टर | भभुआ

कैमूर जिले में 150 खेल क्लब में शारीरिक शिक्षक टैग होंगे। बता दें कि संयुक्त सचिव खेल विभाग बिहार सरकार पटना के निर्देश के आलोक में कैमूर जिले के सभी ग्राम नगर पंचायत में गठित खेल क्लब को क्रियाशील बनाने के लिए उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा कार्यालय जगजीवन स्टेडियम, भभुआ में उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, कैमूर ओमप्रकाश कुमार की अध्यक्षता में शारीरिक शिक्षकों की बैठक हुई। जिसमें पंचायत स्तरीय खेल क्लब में संबंधित विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों को चिन्हित कर खेल क्लब से टैग करने हेतु सभी शारीरिक शिक्षकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बारे में जिला खेल मीडिया प्रभारी डॉ.तुलसी प्रसाद सिंह ने बताया कि कैमूर जिला में 146 ग्राम पंचायत 6 नगर पंचायत कुल 150 ग्राम नगर पंचायत में खेल क्लब का गठन कर लिया गया है। जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के साथ ही मेंबर का भी चुनाव कर लिया गया है। विभागीय पत्र के आलोक में सभी ग्राम नगर पंचायत के खेल मैदान खेल क्लब को क्रियाशील करने हेतु नजदीकी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षकों को चिन्हित कर खेल क्लब से जोड़ने हेतु जिले के शारीरिक शिक्षकों को इस कार्य के सफलता हेतु प्रखंडवार शारीरिक शिक्षकों को लगाया गया है। भभुआ प्रखंड के लिए दिलीप कुमार पटेल, इम्तियाज अली अशरफ अली, मोहनिया प्रखंड के लिए जीरान अली, कुदरा के लिए कमलेश कुमार, दुर्गावती प्रखंड के लिए अमजद अंसारी, चांद प्रखंड के लिए पप्पू कुमार, चैनपुर के लिए अनिल कुमार, राजीव कुमार, भगवानपुर के लिए रंजीत कुमार, उमेश प्रसाद, रामपुर प्रखंड के लिए डॉ तुलसी प्रसाद सिंह, धीरज कुमार, अधौरा के लिए शौकत अली गद्दी, रामगढ़ के लिए संजय कुमार, नुआंव के लिए विजेंद्र कुमार खरवार को लगाया गया है।

बैठक में शामिल शारीरिक शिक्षक।